

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 03/2026
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 162/2025

IN THE MATTER OF:

NIRMAL KUMAR TRIPATHI

...APPLICANT

VERSUS

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL
BOARD & ORS.**

.....RESPONDENTS

INDEX

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	Affidavit on behalf of Uttar Pradesh pollution Control Board	1-5
2.	<u>ANNEXURE-1</u> A detailed Inspection Report alongwith is respective annexure	6-21
3.	Vakalatnama	22

NEW DELHI
DATED: 22.04.2026



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 03/2026
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 162/2025

IN THE MATTER OF:

NIRMAL KUMAR TRIPATHI

...APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL
BOARD & ORS.

.....RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ashutosh Chauhan, S/o Late Shri Ratan Singh Chauhan, aged about 45 years, presently posted as Gorakhpur at Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Gorakhpur, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I in the above noted capacity, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That in an Original Application (OA) No. 162 of 2025 titled as Nirmal Kumar Tripathi Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board, the Applicant has sought a direction to Respondent no.1 to impose environmental compensation on respondent



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

(Signature)

no.-4 M/s. Saraswati Brick Field and Respondent no.-5 M/s. Jai Bajrang Bali Brick Udyog. By mean of order dated 22.04.2025 this Hon'ble Tribunal was pleased to disposed of the OA by passing the following direction:

"...5. Hence, we permit the applicant to file a detailed representation along with all the particulars relating to the operational period of respondents kilns in violation of the environmental norms, orders of the Tribunal and closure order to the Member Secretary, UPPCB. On receipts of such a complaint, Member Secretary, UPPCB will duly and expeditiously ascertain the truthfulness of the allegation and if it is found that brick kilns in question were operating in violation of the norms, orders of the Tribunal and closure order, then action will be taken by Member Secretary, UPPCB for levy of environmental compensation for the period in which respondents brick kilns had operated illegally and had caused damaged to the environment..."

3. That further by way of above Execution Application, the applicant is seeking compliance of the order dated 22.04.2025 passed in O.A. No. 162/2025. Upon considering the application, this Hon'ble Tribunal vide its order dated 27.01.2026 was pleased to direct the answering respondent to file its reply.



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

4. That in compliance to the above said direction, an inspection of Brick Kilns in question, namely M/s. Saraswati Brick Field, Respondent No. 4 and M/s. Jai Bajrang Bali Brick Udyog, Respondent No.5 was carried on 02.04.2026.

A detailed Inspection Report alongwith its respective annexure is being annexed herewith and marked as **Annexure-1**.

5. That earlier a closure order dated 12.06.2023 was issued to M/s Jai Bajrang Bali Int Udyog (Respondent No. 4) for violating the environmental norms and that the operation of the brick kiln was forced to stop with the help of fire department in the presence of district administration on 27.06.2023.

6. That further a joint inspection was made on 22.04.2024 by officials of UPPCB and fire department, district as well as police administration and was found that the brick kiln was closed.

7. That furthermore, 03 more inspections were conducted on 24.12.2025, 19.03.2026 and 02.04.2026 and during the said inspections the brick kiln was found closed.

8. That earlier a closure order dated 12.06.2023 was issued to M/s Saraswati brick Field (Respondent No. 5) for violating the environmental norms and that the operation of the brick kiln was forced to stop with a help of fire department in the presence of district administration on 27.06.2023.



G. Anand Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

[Handwritten Signature]

9. That further on inspection dated 22.04.2024 & 10.04.2024 the above said brick kiln was operational thereby violating the closure order and that the brick kiln was forced to stop with the help of fire department in the presence of district as well as police administration.
10. That again the said brick kiln was inspected on 05.07.2024 when the same was found closed. On inspection being made on 24.12.2025 and 02.04.2026, the brick kiln was found closed.
11. That in view of above-mentioned details, An Environmental Compensation of Rs. 12,81,250.00 (Rs. Twelve Lakhs Eighty-One Thousand Two Hundred and Fifty Only) may be imposed on Brick Kiln M/s Saraswati Brick Field, Vill-Khoraram, Post-Barhya Bujurg, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria for a period from 01.10.2023 to 22.04.2024.

12. That M/s Jai Bajarang Bali Int Udyog, Vill-Basdila, Post-Kaudi Tiwari, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria was found closed at time of every inspection with complying closure order. Hence no action is pending against Brick Kiln M/s Jai Bajarang Bali Int Udyog, Vill-Basdila, Post-Kaudi Tiwari, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.


The present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR


DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Gorakhpur on this the 21st day of April, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.


DEPONENT

Ashutosh Chauhan
of Ashutosh Chauhan
He signed before
me self Ash
21/4/26

21/4/26
Solely affirmed before me on
a 21/4/26
Ashutosh Chauhan
I have satisfied myself regarding the contents of this affidavit
that he/she understands the contents of this affidavit
which has been read over and explained to him

21/4/26
Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR



21/4/26
Girijesh Kumar Gupta
NOTARY

Inspection report in compliance of Hon'ble NGT Order dated 27-01-2026 in the matter of "O.A. No. 162 of 2025 Nirmal Kumar Tripathi Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors."

In compliance of Hon'ble NGT Order dated 27-01-2026 in the matter of "O.A. No. 162 of 2025 Nirmal Kumar Tripathi Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors." Inspection of below mentioned Brick Kilns were conducted on Dated 02-04-2026 -

1. M/s Jai Bajarang Bali Int Udyog, Vill-Basdila, Post-Kaudi Tiwari, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.
2. M/s Saraswati Brick Field, Vill-Khoraram, Post-Barhya Bujurg, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.

The details Inspection Report is as follows-

- 1. M/s Jai Bajarang Bali Int Udyog, Vill-Basdila, Post-Kaudi Tiwari, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.**

A closure order has been issued by U.P. pollution Control Board to above said Brick Kiln has been issued vide ref no. H 95582/C-6/Brick Kiln/834/Closure Order/Gorakhpur /2023 dated 12-06-2023. In compliance of that operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration on 27-06-2023. Spot Memo is Annexed as **Annexure-01**.

After that Inspection of Brick Kiln has been conducted on 22-04-2024 with fire department, district administration and police administration. The Brick Kiln found closed. Inspection Report is Annexed as **Annexure-02**.

More over 03 Inspections has been conducted of the above said Brick kiln has been conducted on 24-12-2025, 19-03-2026 and 02-04-2026. Brick Kiln found closed on above dates. The Inspection reports are attached as **Annexures-03, 04 & 05**.

H

h

2. M/s Saraswati Brick Field, Vill-Khoraram, Post-Barhya Bujurg, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.

A closure order has been issued by U.P. pollution Control Board to above said Brick Kiln has been issued vide ref no. H 95583/C-6/Brick Kiln/834/Closure Order/Gorakhpur /2023 dated 12-06-2023. In compliance of that operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration on 27-06-2023. Spot Memo is Annexed as **Annexure-06**.

On Inspection Dated 10-04-2024 Brick Kiln found operational with violating Closure order. After that of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration on 22-04-2024. Spot Memo is Annexed as **Annexure-07**.

After that Inspection of Brick Kiln has been conducted on 05-07-2024. The Brick Kiln found closed. Inspection Report is Annexed as **Annexure-08**.

More over 03 Inspections has been conducted of the above said Brick kiln has been conducted on 24-12-2025, 19-03-2026 and 02-04-2026. Brick Kiln found closed on above dates. The Inspection reports are attached as **Annexures-09, 10 & 11**.

In view of violating closure order EC may be imposed on above said Brick Kiln from date 01-10-2023 to 22-04-2024.

The calculation is as below-

$$\text{Penalty} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

PI = Pollution Index

Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries.

So PI = 50

N = Number of Days 01-10-2023 to 22-04-2024 (205 Days)

R = Rs. 250.00

S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5)

LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0)

LF = 1.0

EC = PI x N x R x S x LF

= 50 x 205 x 250 x 0.5 x 1.0

= **12,81,250.00 (Rs. Twelve Lakhs Eighty One Thousands Two Hundreds and Fifty Only)**

Recommendations-

1. In view of above-mentioned details An Environmental Compensation of Rs. 12,81,250.00 (Rs. Twelve Lakhs Eighty-One Thousand Two Hundred and Fifty Only) may be imposed on Brick Kiln M/s Saraswati Brick Field, Vill-Khoraram, Post-Barhya Bujurg, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.
 2. M/s Jai Bajarang Bali Int Udyog, Vill-Basdila, Post-Kaudi Tiwari, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria found closed at time of every inspection with complying closure order. Hence no action is pending against Brick Kiln M/s Jai Bajarang Bali Int Udyog, Vill-Basdila, Post-Kaudi Tiwari, Tehsil-Sadar, Distt-Deoria.
- The above report is submitting for your perusal and necessary action.

Nitish kumar
07/04/2026

(Nitish Kumar)
J.E.

Singh!
07.04.2026

(Purnaditya Pratap Singh)
A.E.E.

Regional Officer,

[Signature]
07/04/2026
आशुतोष चौहान
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर

स्पाट मेमो
कार्यवाही दिनांक ...27-6-23

आज दिनांक...27-6-23... को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० एच. 95583/सी०-6/ई०भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम- खोराराम, पो०- बढया बुजुर्ग, तहसील- सदर, जनपद- देवरिया स्थित ईट भट्टे के जाँच हेतु राजस्व टीम/पूलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित/बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्टे को संचालन बन्द कराया गया तथा ईट भट्टा मालिक को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्टे का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।

[Signature]
27-6-23
(उमेश प्रसाद)
ज० ए०

[Signature]
27.06.23
(नाम तहसील)
देवरिया

मै० सरस्वती ब्रिक्स फील्ड
खोराराम
देवरिया

प्र० ईट भट्टा बन्द कर दिया गया है।
हार्दिक (पादक)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण निर
(UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

(JARD)

उत्तर प्रदेश
17-6-23

प्रक्रियांक..... 495 582 / सी-6 / ईट भट्टा / 835 / बन्दी आदेश / गोरखपुर / 2023

दिनांक..... 17-6-23

सेवा में

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग
ग्राम-बसडिला, पोस्ट- कौड़ी तिवारी,
तहसील-सदर,
जनपद-देवरिया।

पंजीकृत

यह कि मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, लकड़ी/कोयला का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ए) के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2023 को किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे के पूरब दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम- बसडिला (आबादी लगभग 500) ईट भट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-सहाश (आबादी लगभग 450) उत्तर दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-बुटवल यादव का टोला (आबादी लगभग 200) एवं दक्षिण दिशा में ग्राम-सेमरहिया लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-बुटवल यादव का टोला (आबादी लगभग 200) तत्पश्चात् बैतालपुर-खोराराम मार्ग लगभग 35 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोक जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सूक्ष्म अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडिला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया को खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
4. जिला खान अधिकारी, देवरिया।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6


Atul Kumar Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6


स्वात-मेमो- 22-04-2024


मैंने जय बंजरंग बल्लो डीएल, की डीएल, जोएल कीर्ती लिखरी
 वृहत्सौख सदा, जगपद देवादिगा का संकुच विरीकरण
 काप दिनांक 22/04/2024 को किया गया। जिसे सदा
 के साथ डीएल गदग, कन्ही कादेश दिनांक 12-06/2024
 के काठुपलन की कद पाया गया। स्वतः जल
 उत्पादन से हमारे कोई शक्ति विच्छेद होता नहीं
 पाया गया। सामान्य कठिन कावचक कार्य का
 डेहू (सुधगर्ष) प्रस्तुत।



 (H.B.R.)
 U.P.P.C.B.
 G.R.P.


 (कारिबामन कश्यप)
 देवादिगा


 (शेखर कश्यप)


 (उजान कश्यप)


 (नाथ कश्यप)
 सदा


 (उजान कश्यप)
 उपर्युक्त
 धान गोठवाली
 देवादिगा

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.12.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95582/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.04.2024 को जिला प्रशासन, खनन विभाग के साथ किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया था (आख्या की छायाप्रति संलग्न)।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Nitesh Kumar
24/12/2025
(नीतीश कुमार)
अवर अभियन्ता

सहा० प्रया० अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Pringh.1.
26/12/2025

OP
R-C

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.03.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95582/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.04.2024 को जिला प्रशासन, खनन विभाग के साथ किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया था (आख्या की छायाप्रति संलग्न)।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Nitish Kumar
20/03/2026
(नीतीश कुमार)
अवर अभियन्ता

सहा० प्रया० अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Singh
20.03.2026

(R.C)

मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.04.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स जय बजरंग बली ईट उद्योग, ग्राम-बसडीला, पोस्ट-कौड़ी तिवारी, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95582/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.04.2024 को जिला प्रशासन, खनन विभाग के साथ किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया था (आख्या की छायाप्रति संलग्न)।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Nitesh Kumar
04/04/2026
(नीतीश कुमार)
अवर अभियन्ता


सहा० प्रयो० अभि० / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


Pr Singh
04.04.2026

[Signature]
04/04/2026
(R.O)

स्पाट मेमो
कार्यवाही दिनांक 27-6-23

आज दिनांक 27-6-23 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं० एच. 95582/सी०-6/ई०भ०/835/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मेसर्स जय बजरंगबली ईट उद्योग, ग्राम- बसडीला, पो०- कौड़ी तिवारी, तहसील- सदर, जनपद- देवरिया स्थित ईट भट्टे के जाँच हेतु राजस्व टीम/पूलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित/बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्टे को संचालन बन्द कराया गया तथा ईट भट्टा मालिक को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्टे का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।


27-6-23
(उपनि. शा. प्र. शा. 5)
म. व. स. डा. 0
उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर


27-6-23
(नापन (N.E. सा. प्र. वार))
देवरिया

मै० जय बजरंगबली ईट उद्योग

रा. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
27-6-2023

ईट भट्टा को बन्द कर दिया गया है

ज० द. रि. शा. (पा. व. व.)

अनेक श्री
17-06-23

60

उत्तर प्रदेश प्रदूषण
(UTTAR PRADESH POLLUTION

गोड
L BOARD)

1195523

पत्रांक...../सी-6/ईट भट्टा/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023

दिनांक: 18/6/23

सेवा में

मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड,
ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग,
तहसील-सदर,
जनपद-देवरिया।

पंजीकृत

यह कि मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी, पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे के पूरब दिशा में लगभग 2.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-अमेठी (आबादी लगभग 600) ईट भट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 1.5 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बांकी (आबादी लगभग 500) उत्तर दिशा में लगभग ग्राम-रजला टोला लगभग 200 मीटर की दूरी (आबादी लगभग 300) एवं दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एस्त०डी० पब्लिक स्कूल तत्पश्चात ग्राम-बढ़या बुजुर्ग लगभग 3.0 कि०मी० की दूरी पर (आबादी लगभग 500) स्थित है।

यह कि ईट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी/कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्टे में फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्टे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है तथा ईट भट्टे की स्थापना हेतु बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1 जिलाधिकारी, देवरिया।
- 2 पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
- 4 जिला खान अधिकारी, देवरिया।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।


Atulish Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6


स्पाॅट मेमो


कार्यवाही दिनांक...22/04/2024


मेसर्स सरस्वती ब्रिक फ़िल्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढ़या बुजुर्ग, ताहसील सदर, जनपद देवरिया को जारी बन्दी आदेश पत्रांक एन 95583/सी-6/ईट भट्टा/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023 दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में पूर्व में दिनांक 27.06.2023 को जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्टे का संचालन बन्द करा दिया गया था। भट्टे के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में आज दिनांक 22/04/24 को जिला प्रशासन, पुलिस बल एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर के संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया, जिसे पुनः बन्द करा दिया गया है तथा उपरिगत प्रतिनिधि को अग्नि शमन तक बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु निर्देशित किया गया।


22-4-24
वैज्ञानिक सहायक
(अध्यापक प्रस्ताव)
U.P.P.C.B. G.R.P.


22/04/24
क्षेत्रीय अधिकारी
(अनिल कुमार शर्मा)
30.90 प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर


22/04/24
रकन अधिकारी
(जितेंद्र शर्मा)
देवरिया


22/04/24
नामब्र ताहसीलदार
(रमेश शर्मा)
देवरिया


22/04/24
थाना सदर
देवरिया

22/04/24
अग्निशमन अधिकारी
देवरिया



सरस्वती ब्रिक्स फ़िल्ड
अध्यक्ष यादव

22/04/24

माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0- 208/2023 (एकजीक्यूशन एप्लीकेशन सं0- 8/2024 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चेयरमैन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढ़या बुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद देवरिया अद्यतन निरीक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0- 208/2023 (एकजीक्यूशन एप्लीकेशन सं0- 8/2024 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चेयरमैन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढ़या बुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद देवरिया का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 05.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रतिनिधि के रूप में श्री शम्भू यादव उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन बन्द पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त ईट भट्टा मेसर्स सरस्वती ब्रिक फील्ड, ग्राम खोराराम, पोस्ट बढ़या बुजुर्ग, तहसील सदर, जनपद देवरिया में स्थापित है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित अवस्था में नहीं पाया गया।
2. उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच. 95583/सी0-6/ई0भ0/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है।
3. उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में उक्त ईट भट्टे को जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 27.06.2023 को बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए उक्त ईट भट्टे को बन्द करा दिया गया।
4. उक्त ईट भट्टे को बन्द कराकर पूर्व में बन्दी आदेश के अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.06.2023 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।
5. निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन उक्त ईट भट्टे द्वारा किया जाता हुआ पाया गया।
6. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:-



उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Alok
(आलोक शर्मा)
जे0आर0एफ0

12-7-24
(अयोध्या प्रसाद)
वैज्ञानिक सहायक

कृते क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
12/07/2024

मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.12.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95583/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2024 को किया गया था, उक्त निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया था, जिसे जिला प्रशासन देवरिया एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दिनांक 22.04.2024 को पुनः बन्द कराया गया (स्पॉट मेमो संलग्न)।
4. उक्त ईट भट्टे का पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.7.2024 को निरीक्षण किया गया था। उक्त समय ईट भट्टा बन्द पाया गया था। आख्या की प्रति संलग्न है।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Neelish Kumar
26/12/2025
(नीतीश कुमार)
अवर अभियन्ता

सहा पर्याप्त अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Prinshl.
26/12/2025

(R.C.)

मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.03.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95583/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2024 को किया गया था, उक्त निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया था, जिसे जिला प्रशासन देवरिया एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दिनांक 22.04.2024 को पुनः बन्द कराया गया (स्पॉट मेमो संलग्न)।
4. उक्त ईट भट्टे का पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.7.2024 को निरीक्षण किया गया था। उक्त समय ईट भट्टा बन्द पाया गया था। आख्या की प्रति संलग्न है।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Neelish Kumar
20/03/2026

(नीतीश कुमार)
अवर अभियन्ता

सहा पर्याप्त अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Singh
20.03.2026

[Signature]
20/03/2026
(RC)

मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.04.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टे पर कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त भट्टा मेसर्स सरस्वती ब्रिक्स फील्ड, ग्राम-खोराराम, पोस्ट-बढ़या बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में स्थापित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०- एच. 95583/सी०-6/ई० भ०/834/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.06.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस टीम एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा संचालन बन्द कराया गया था (स्पॉट मेमो संलग्न)।
3. ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2024 को किया गया था, उक्त निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया था, जिसे जिला प्रशासन देवरिया एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दिनांक 22.04.2024 को पुनः बन्द कराया गया (स्पॉट मेमो संलग्न)।
4. उक्त ईट भट्टे का पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.7.2024 को निरीक्षण किया गया था। उक्त समय ईट भट्टा बन्द पाया गया था। आख्या की प्रति संलग्न है।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Nitesh Kumar
04/04/2026
(नीतीश कुमार)
अवर अभियन्ता

सहा पर्या० अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Pringh!
04.04.2026

[Signature]
04/04/2026
(R.C)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Appeal/OA NO. EA No. 3 of 2026 In OA No. 162 of 2025

In re:

NIRMAL KUMAR TRIPATHIPlaintiff /Appellants/
Petitioner/Complainant

VERSUS

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL
BOARD & ORS**Defendant/Respondent/
Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We
Anuj Kumar Chaubey the above named Law officer
do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above
noted case & authorize :-

**Mr. Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721**

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this _____ day of _____

Ac _____ (subject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)
Advocate Advocate (D/435/01)

Client
Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-I
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

